फा.सं. ओपी-14/7/2018-डीडी(ओजी)

भारत सरकार

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत सभी फलों एवं सब्जियों के लिए लघु आवधिक हस्तक्षेप हेतु दिनांक 11.06.2020 के दिशानिर्देश ।

मंत्रालय, टमाटर, प्याज तथा आलू की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम नामत: "ऑपरेशन ग्रीन्स" का कार्यान्वयन कर रहा है । इस स्कीम में मूल्य स्थिरीकरण उपाय (लघु अवधि के लिए) तथा एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घ अवधि के लिए) की दोहरी रणनीति है ।

2. कोविड-19 के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है और किसान अपनी उपज को बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु किए जाने वाले उपायों के तीसरे हिस्से में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में दिनांक 15.05.2020 को घोषणा की थी कि:

I. ऑपरेशन गीन्स का विस्तृत करते हुए उसे केवल टमाटर, प्याज तथा आलू (टीओपी) के बजाए सभी फलों एवं सब्जियों (समग्र) के लिए लागू किया जाएगा ।

II. स्कीम के लक्षण- अधिशेष उत्पादन वाले स्थानों से कमी वाले बाजारों तक की ढुलाई पर 50% की सब्सिडी और शीतागारों सहित भंडारण पर 50% की सब्सिडी ।

III. प्रायोगिक तौर पर 6 महीनों के लिए – इसका विस्तार किया जाएगा और व्यापक बनाया जाएगा ।

3. माननीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अंतरमंत्रालयी विचार-विमर्श के उपरांत दिनांक 10.06.2020 को इस स्कीम को अनुमोदन दिया था । तद्नुसार, इस स्कीम के त्वरित कार्यान्वयन तथा अधिकता एवं कमी को रोकने एवं मध्यम करने के लिए 6 महीनों तक फलों एवं सब्जियों के अधिशेष उत्पादन को उत्पादन वाले क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक की निकासी को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों की परिकल्पना की गई है । दिशानिर्देशों के मुख्य लक्षण निम्नानुसार है:-

क. **<u>उद्देश्य:</u>** इस हस्तक्षेप का उद्देश्य फसलोत्तर हानियों को कम करना और फलों एवं सब्जियों के ऐसे उपजकर्ताओं को बचाना है जिन्हें लॉकडाउन की वजह से अपनी उपज को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है ।

ख. **<u>पात्र फसलें</u>:** कृषि मंत्रालय से प्राप्त हुई सिफारिश के आधार पर स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित फल एवं सब्जियां पात्र होंगी:-

फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे फल, अनन्नास, अनार और कटहल ।

सब्जियां- फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, मिर्च (हरी), भिण्डी, प्याज, आलू तथा टमाटर ।

कृषि मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की सिफारिश के आधार भविष्य में किन्हीं अन्य फलों/सब्जियों को इसमें जोड़ा जा सकता है ।

ग. **<u>पात्र उत्पादन क्लस्टर:</u>** अत्यावश्यक शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बागवानी सांख्यिकी एट ग्लांस 2018 (वेबसाइट: agricoop.nic.in पर उपलब्ध) के क्रम सं.7.5 में उल्लिखित प्रत्येक फसल के लिए जिलों की सूची को पात्र उत्पादन क्लस्ट माना जाएगा ।

घ. **<u>स्कीम की अवधि:</u>** अधिसूचना की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए ।

ड. **<u>पात्र संस्थाएं:</u>** फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण/विपणन का कार्य करने वाले खाद्य प्रसंस्करणकर्ता एफपीओ/एफपीसी, सहकारी समितियां, एकल किसान, लाइसेंसधारक कमीशन एजेंट, निर्यातक, राज्य विपणन/सहकारी संघ, खुदरा विक्रेता आदि ।

च. **<u>सहायता का पैटर्न:</u>** मंत्रालय, लागत मानदंडों के अध्यधीन निम्नलिखित दो घटकों की लागत के 50% की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराएगा:-

(i) अधिशेष उत्पादन क्लस्टर से उपभोग केंद्र तक पात्र फसलों की ढुलाई और/अथवा

(ii) पात्र फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना (अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए) ।

सब्सिडी के उद्देश्य से किन्हीं अन्य आकस्मिक व्यय अथवा करों जैसे कि जीएसटी एवं राज्य/केंद्र के स्तर पर वसूले जाने वाले अन्य करों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

छ. **<u>आवश्यक शर्तें:</u>** निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पात्र संस्थाओं को सब्सिडी संवितरित की जाएगी:-

i. अधिसूचित उत्पादन क्लस्टरों में चल रहे भाव निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करते हों;

क. फसल कटाई के समय मूल्य पिछले तीन वर्षों के औसत बाजार मूल्य से नीचे चले गए हों;

ख. फसल कटाई के समय मूल्य पिछले वर्ष के बाजार मूल्य की तुलना में 15% से अधिक नीचे चले गए हों;

ग. मूल्य, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए खरीद हेतु निर्धारित बेंचमार्क मूल्य 'यदि कोई हो' से नीचे चले गए हों ।

ii. किसानों, एफपीओ/एफपीसी, सहकारी समिति अथवा लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट से सीधे खरीद की जाएगी और भुगतान केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाएगा;

iii. प्रति आवेदक खरीदी जाने वाली और परिवहन/भंडारित न्यूनतम मात्रा (इसमें एक अथवा एक से अधिक अधिसूचित फसलें हो सकती हैं) निम्नानुसार होगी:

क. एफपीओ/एफपीसी, सहकारिता, एकल किसानों के लिए 100 मीट्रिक टन;

ख. खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट के लिए 500 मीट्रिक टन;

ग. खुदरा व्यापारियों, राज्य विपणन/सहकारी संघ के लिए 1000 मीट्रिक टन;

iv. परिवहन के लिए पात्र मानदंड: अधिसूचित अधिशेष उत्पादन क्लस्टरों से उपभोग केंद्र, प्रसंस्करण संयंत्र, रिटेल आउटलेट अथवा भारत में बंदरगाहों/हवाई अड्डों/आईसीडी/सीएफएस, जैसा भी मामला हो तक की न्यूनतम दूरी (सड़क, रेलवे अथवा वायुमार्ग से):

क. खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, एफपीओ/एफपीसी, सहकारी समिति, एकल किसान, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट, निर्यातक के लिए 100 किमी;

ख. खुदरा व्यापारियों, राज्य विपणन/सहकारी संघ के लिए 250 किमी;

v. लाइसेंस प्राप्त मालगोदाम अथवा शीतागार में भंडारण केवल अधिसूचित उत्पादन क्लस्टरों, उपभोग केंद्रों अथवा उपयोग केंद्र के रास्ते के समीप किसी स्थान पर हो सकता है ।

vi. परिवहन तथा भंडारण शुल्कों का भुगतान केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए ।

i. प्रति आवेदक अधिकतम अनुमत्य सब्सिडी की राशि पूरे 6 महीने की अवधि के दौरान 1 करोड़ रुपए होगी ।

ii. खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सब्सिडी के उद्देश्य से खरीद की जाने वाली फसल की पात्र मात्रा की अधिकतम सीमा उनके प्रसंस्करण संयंत्र पर स्थापित क्षमता के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

iii. ढुलाई अथवा भंडारण के इनवॉयस 'जैसा भी मामला हो' की तारीख से तीन महीने पूरे हो जाने के पश्चात आवेदन नहीं किया जाना चाहिए ।

iv. मंत्रालय, समय-समय पर उपर्युक्त शर्तों की समीक्षा करेगा और स्कीम दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध को संशोधित/परिवर्तित/रद्द करने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेगा ।

ज. **<u>सब्सिडी के लिए दावा प्रस्तुत करना: :-</u>** उपर्युक्त आवश्यक मानदंडों का पालन करने वाली पात्र संस्थाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लिए बगैर अधिसूचित अधिशेष उत्पादन क्लस्टरों से अधिसूचित फसलों की ढुलाई और/अथवा भंडारण का कार्य कर सकती हैं और उसके उपरांत ऑनलाइन पोर्टल https://www.sampada-mofpi.gov.in/Login.aspx पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकती हैं । उन्हें दावे के प्रपत्र में अपेक्षित सूचना भरनी होगी और स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।

आवेदक को फलों एवं सब्जियों की ढुलाई/भंडारण करने से पूर्व पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा ।

झ. टिप्पणियों के लिए दावों का वर्ग-वार सप्ताहिक विवरण जनरेट किया जाएगा और उसे संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा । यदि 15 दिनों के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है और दावे को मामले की योग्यता के आधार पर निपटा दिया जाएगा:

क्र.सं.	वर्ग	नोडल एजेंसी
1.	खाद्य प्रसंस्करणकर्ता	खाप्रउमं
2.	एफपीओ/एफपीसी	एसएफएसी/खाप्रउमं
3.	सहकारी समिति	एनसीडीसी/खाप्रउमं
4.	एकल किसान	राज्य विपणन विभाग
5.	लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट	राज्य विपणन विभाग
6.	निर्यातक	अपीडा
7.	राज्य विपणन/सहकारी संघ	खाप्रउमं
8.	खुदरा व्यापारी	खाप्रउमं

ञ. **सहायक दस्तावेजों की सूची:-** सब्सिडी (परिवहन तथा भंडारण हेतु) जारी करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करना होगा:-

i. पात्र फसलों के लिए अधिसूचित उत्पादन क्लस्टर से इनवॉयस की खरीद;
ii. उस किसान का ब्यौरा जिससे फसल खरीदी गई है;
iii. पात्र फसल के लिए उत्पादन केंद्र/संयंत्र/बंदरगाह/खुदरा आउटलेट में बिक्री/हस्तांतरण का इनवॉयस;
iv. यह दर्शाने के लिए कि फसल की ढुलाई के लिए भुगतान किया गया है, ढुलाई का इनवॉयस तथा रसीद एवं अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि धर्मकांटे की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद, जीओ-टेग फोटोग्राफ (ट्रक का नम्बर, तारीख एवं समय सहित) ।
v. यह दर्शाने के लिए कि फसल के भंडारण के लिए भुगतान किया गया है, भंडारण का इनवॉयस तथा रसीद एवं अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि धर्मकांटे की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद, जीओ-टेग फोटोग्राफ (ट्रक का नम्बर, तारीख एवं समय सहित) किराया/पट्टा समझौता ।
vi. यह दर्शाने के लिए बैंक स्टेटमेंट की प्रति कि किसान, परिवहन शुल्क और/अथवा भंडारण शुल्क का भुगतान किया गया है ।

ट. **कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए):-** इस स्कीम के कार्यान्वयन तथा निगरानी में मंत्रालय की सहायता करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के अंतर्गत मौजूदा पीएमएज की सेवाएं लेगा ।

ठ. **आवेदन में कमी:-** आवेदन में यदि कोई कमी पाई जाएगी तो पीएमए आवेदक को उसकी सूचना देगा । आवेदक को आवेदन में पाई गईं कमियों में मंत्रालय द्वारा निर्धारित आखिरी तारीक तक सुधार करना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

ड. **मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स (एमओजी):-** पीएमएज द्वारा की गईं सिफारिशों और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों के अनुमोदन पर विचार करने के लिए साप्ताहिक आधार पर (प्रत्येक सोमवार, छुट्टी होने पर अगले कार्य दिवस को) नियमित बैठक आयोजित की जाएगी । दावे का पूर्ण आवेदन प्राप्त करने के दो सप्ताह के भीतर दावों का निपटान कर दिया जाएगा । इसके अलावा, एमओजी स्कीम की प्रगति, किन्हीं और पात्र फसलों को शामिल करने की सिफारिश, अधिशेष उत्पादन क्षेत्र एवं अन्य नीतिगत मामलों पर विचार करेगा ।

ढ़ **लेखा परीक्षा तंत्र:-**10% मामलों को यादृक्षिक आधार पर चुना जाएगा । जहां भी अपेक्षित होगा मंत्रालय अथवा इसकी प्राधिकृत एजेंसी सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज मंगा सकता है । मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने पर आवेदक को सब्सिडी की स्वीकृति की तारीख से 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित सब्सिडी की राशि वापस करनी होगी । इस प्रकार की जांच में कोई कमी और/अथवा अधिक राशि का दावा पाए जाने के मामले में आवेदक को उस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी और/अथवा अधिक दावे की राशि को वापस की जाने वाली राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित एक महीने के भीतर वापस करने की जिम्मेदारी होगी । धोखा, गलतबयानी/गलतघोषणा, जालसाजी तथा जाली दस्तावेजों अथवा जानबूझ कर की गई गडबडी के मामलों पर संबंधित आपराधिक एवं दीवानी कानून के उपंबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

ण. इस स्कीम के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार की एजेंसियां (उदाहरण के लिए नाफैड तथा कॉनकोर आदि) और राज्य स्तर की एजेंसियां (उदाहरण के लिए राज्य कृषि आद्योगिक निगम तथा कृषि विपणन संघ आदि) शामिल होंगी ।

त. **<u>सेवा शुल्क:</u>** मंत्रालय, प्रशासनिक कार्यों के लिए सब्सिडी की राशि के 2.5% की दर से सेवा शुल्क ले सकता है ।

थ. **<u>परिवहन तथा भंडारण की सब्सिडी के लिए लागत मानदंड:-</u>** स्कीम के अंतर्गत अनुमत्य सब्सिडी की गणना करने के लिए परिवहन तथा भंडारण की पात्र लागत की गणना करते समय निम्नखिति लागत मानदंडों का अनुप्रयोग किया जाएगा:-

<u>परिवहन शुल्क</u>

i. सामान्य ट्रक रेट:- 2.84 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर

ii. रीफर वैन रेट:- 5 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर

रेल तथा वायु मार्ग से परिवहन के मामले में भारतीय रेलवे तथा एयर इंडिया द्वारा लिए गए किराए की वास्तविक राशि को पात्र लागत के रूप में माना जाएगा ।

भंडारण शुल्क:-

i. मालगोदाम रेट:- 345 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति सीजन

ii. शीतागार रेट:- 2,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति सीजन

पात्र फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए सब्सिडी हेतु अधिकतम तीन महीने की अवधि पर विचार किया जाएगा ।

*****